(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 776—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 09—03—2015 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 702/अ—74/2013—2014.

.....

भानूप्रताप सिंह तनय कमलभान सिंह
निवासी ग्राम महुआ तहसील मनगंवा
जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1— अनिल प्रताप सिंह तनय के0 पी0 सिंह
निवासी अनन्तपुर तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

2— अरूण प्रताप सिंह तनय श्री एल0 सिंह
निवासी अमहिया तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

3— बी0 एस0 पटेल तनय रामलाल पटेल
निवासी समान अभिषेक भवन कमांक
15/2943 सारदापुरम समान रीवा
तहसील हुजूरजिला रीवा म0प्र0

4— विनोद कुमार पटेल तनय रामसिया पटेल
निवासी खुझवा तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0प्र0

5– राजबहोर यादव तनय ददद्दी यादव
निवासी गायत्री नगर अनन्तपुर तहसील
हुजूर जिला रीवा म0प्र0
6– संतोष कुमार पटेल तनय रामसिया पटेल
निवासी ढनगन तहसील मऊगंज जिला रीवा
7– शक्ति सिंह तनय चन्द्रिका सिंह
निवासी रायपुर कर्चुलियान तहसील
रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0
8– म0 प्र0 शासन

–––– अनावेदकगण

.....

श्री आई0 पी0 द्विवेदी अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0 डी0 अग्रवाल, पैनल अभिभाषक, अना0–8
अनावेदक कमांक 1 से 7 एकपक्षीय

.....

आदेश

(आज दिनांक 13/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–03–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम गडरिया तहसील हुजूर जिला रीवा की आराजी न0 99/1, 99/2, 99/3 एवं 99/5 का जुज रकवा 0.162 है0 आवेदक द्वारा कय की गई एवं नामांतरण कराया गया। अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 9.3.15 को नक्शा तरमीम किया गया। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपनी ओर से लेखी बहस प्रस्तुत की गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में तर्क किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शा तरमीम की जो प्रकिया अपनाई गई है वह प्रकिया नक्शा तरमीम की नहीं मानी जा सकती क्यों कि जिस तर्मीम प्रस्ताव को तर्मीम प्रस्ताव कहा गया है वह वास्तव में तर्मीम प्रस्ताव न होकर सीमांकन किये जाने हेतु किया गया प्रतिवेदन मात्र है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने तर्मीम आदेश दिनांक 9.3.15 में जिन्हें अनुमोदित किया है वे प्रदर्श पी–1, प्रदर्श पी 2, प्रदर्श पी–3, प्रदर्श पी–4 के रूप में वर्णित है ये सभी प्रदर्शित दस्तावेज तर्मीम के आधार कहे गये हैं यह तर्मीम के नहीं सीमांकन के तैयार किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि नक्शा तर्मीम के समय सरहदी कास्तकारों को कोई सूचना नहीं दी गई है और प्रदर्श–2 में जो सूचना पत्र है उसमें आवेदक को भी कोई सूचना नहीं दी गई। प्रदर्श पी–2 में जो आवेदकों के हस्ताक्षर बनाये गये हैं वह वास्तविक हस्ताक्षर नहीं है। अन्य व्यक्तियों से सांठ–गांठ कर के हस्ताक्षर बनाये गये हैं । उनका आगे तर्क यह है कि स्थल पंचनामा जो बनाया गया है वह भी फर्जी हस्ताक्षरों का सहारा लेख मनमानी तौर पर लिखा गया है । अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 9.3.15 निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के लेखी बहस का अध्ययन किया तथा मौखिक तर्क श्रवण किये गये। अनावेदकगण 1 से 7 एक पक्षीय है। अनावेदक कमांक–8 की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों के साथ धारा–5 का आवेदक दिया गया है। वह समाधानकारक होने से स्वीकार किया जाता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

5– प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 9.3.15 को राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी 2247–तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 28.7.14 के परिपालन में राजस्व

निरीक्षक से प्रतिवेदन दिनांक 15.12.14 मंगाया गया जिसमें तहसीलदार द्वारा लेख किया गया है कि सभी हितबद्व पक्षकारों को सूचना देकर नक्सा तर्मीम का प्रस्ताब किया जाना पाया जाता है। तरमीम के विरूद्व किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने पर राजस्व निरीक्षक/पटवारी अभिलेख में अद्यतन करने का आदेश दिया गया। अभिलेख में संलग्न सूचना पत्र का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि जिसमें सरहदी कास्तकार आवेदक भानूप्रताप सिंह के हस्ताक्षर नहीं है । इससे स्पष्ट है कि उन्हें सूचना नहीं दी गई है जबकि वह सरहदी कास्तकार हैं।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 702/अ–74/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक 9.3.15 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह नक्शा तरमीम के लिये संयुक्त दल गठित कर सरहदी कास्ताकारों को सूचना एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये पुनः नक्शा तरमीम की कार्यवाही करते हुये आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर